

न्यायालय: एन0आर0 परमार, अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के
अतिरिक्त न्यायाधीश भीकनगांव म0प्र0

:: सामान्य सूचना::

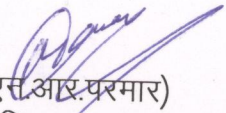
क्रमांक 262/आर

भीकनगांव दिनांक 20.07.2020

करोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशानिर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुये इस न्यायालय के सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों में दिनांक:- 20.07.2020 से दिनांक:-25.07.2020 तक नियत प्रकरणों, जमानत, अंतिम तर्क एवं जरूरी मामलो को छोड़कर शेष समस्त मामलो की सुनवायी नहीं होगी दिनांक:-20.07.2020 से दिनांक:-25.07.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है।

नियत दिनांक	सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी नियत दिनांक
20.07.2020	13.08.2020
21.07.2020	14.08.2020
22.07.2020	17.08.2020
23.07.2020	18.08.2020
24.07.2020	19.08.2020

नोट:- अंतिम तर्क के मामलो को छोड़कर शेष मामलो की सुनवायी की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की जाती है।


(एस.आर.परमार)
अपर जिला न्यायाधीश के
न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
भीकनगांव (म.प्र.)

(ज्योत्सना आर्य)

अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1

न्यायालय:-श्रीमति ज्योत्सना आर्य, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भीकनगांव,
प0निमाडग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय भीकनगांव, जिला खरगोन पश्चिम
निमाड (म0प्र0)

जावक क्रमांक...../2020

भीकनगांव दिनांक 20-07-2020

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 20.07.2020 से दिनांक 24.07.2020 तक नियत प्रकरणों जमानत, अंतिम तर्क एवं जारी जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवायी नहीं होगी। दिनांक 20.07.2020 से दिनांक 24.07.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती हैं:-

नियत दिनांक	आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी दिनांक	सिविल प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी दिनांक
20-07-2020	17-08-2020(ग्राम न्यायालय)	—
21-07-2020	27-08-2020	19-08-2020
22-07-2020	03-09-2020	13-08-2020
23-07-2020	29-08-2020	26-08-2020
24-07-2020	21-08-2020(ग्राम न्यायालय)	

नोट:- अंतिम तर्कों के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवायी की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गई है।

(श्रीमति ज्योत्सना आर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं
ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय
भीकनगांव प0निमाड
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
भीकनगांव, प.नि.

न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 भीकनगांव जिला मण्डलेश्वर (म.प्र.).

(समक्ष-फरहान एम. कुरैशी)

कमांक 40/345

भीकनगांव, दिनांक 20.07.2020

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 20.07.2020 से दिनांक 24.07.2020 तक नियत प्रकरणों जमानत, अंतिम तर्क एवं जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवायी नहीं होगी। दिनांक 20.07.2020 से दिनांक 24.07.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है :-

नियत दिनांक	सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी दिनांक
20.07.2020	0
21.07.2020	10.09.2020
22.07.2020	11.09.2020
23.07.2020	13.09.2020
24.07.2020	14.09.2020

नोट :- अंतिम तर्क के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवाई की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गई है।

अज्ञा से

(फरहान एम. कुरैशी)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02

भीकनगांव जिला मण्डलेश्वर (म.प्र.)